न्यायालयः—श्रीमती वंदना सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिवनी मालवा जिला—नर्मदापुरम (म0प्र0)

Registration No.392/2022
Filing No RCT 2186/2022
CNR No. MP 05070075382022
Filing Date 17-10-2022

निर्णय की तारीख **आज दिनॉक 27/09/2023 को घोषित।** थाना सिवनी मालवा, जिला—नर्मदापुरम म0प्र0 के अपराध क्रमांक 463/2022 धारा 279, 337भा0दं0सं0 एवं 146/196 एम.व्ही. एक्ट से उद्भूत आपराधिक प्रकरण

परिवादी/अभियोजन	म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र सिवनी मालवा जिला—नर्मदापुरम म0प्र0
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्रीमती वंदना जाट, ए0डी0पी0ओ0।
अभियुक्तगण	1. ओमप्रकाश पिता शिवहरि लौवंशी उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम बाबड़िया बापू थाना सिवनी मालवा, जिला—नर्मदापुरम म0प्र0। 2. अरूण लौवंशी पितारामचंद्र लौवंशी उम्र 28 ग्राम बांकाबेड़ी थाना सिवनीमालवा जिला नर्मदापुरम म0प्र0।
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री पुष्कर मिश्रा अधिवक्ता।

अपराध की तारीख	04/08/2022
प्र.सू.रि. की तारीख	04/08/2022
आरोप पत्र की तारीख	17/10/2022
आरोपों के विरचना की तारीख	24/01/2023

साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तारीख	20/03/2023
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तारीख	27 /09/2023
निर्णय की तारीख	27/09/2023
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	निरंक

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दंडादेश	धारा 428 दं. प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
01	ओमप्रकाश लौवंशी	निरंक	निरंक	धारा 279, 337भा0दं0सं0 एवं 146/196 एम.व्ही. एक्ट	दोषमुक्त	निरंक	निरंक
02	अरूण लौवंशी	निरंक	निरंक	146/196 एम. व्ही. एक्ट	दोषमुक्त	निरंक	निरंक

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची
क. अभियोजन

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदशी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंचसाक्षी, अन्य साक्षी)
अ0सा0–01	**अमीर सिंह**	आहत साक्षी
अ0सा0–02	**दिनेश**	प्रथम सूचना रिपोर्टकर्ता
अ0सा0–03	**कृपाराम मीणा**	जप्ती, अनुसंधानकर्ता

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदशी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंचसाक्षी, अन्य साक्षी)

ब.सा.1	निरंक	निरंक

ग. न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई हो :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदशी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंचसाक्षी, अन्य साक्षी)
न्या.सा.1	निरंक	निरंक

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क. अभियोजन

सं. क.	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
01	प्रदर्श पी.1/अ0सा0–01 प्रदर्श पी.2/अ0सा0–01 प्रदर्श पी.3/अ0सा0–02 प्रदर्श पी–04/अ0सा0–02 प्रदर्श पी–05/अ0सा0–03 प्रदर्श पी–06/अ0सा0–03 प्रदर्श पी–07/अ0सा0–03	नक्शामौका पुलिस कथन प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनेश के पुलिस कथन जप्ती पत्रक धारा 133 एमव्हीएक्ट का सूचना पत्र धारा 133 एमव्हीएक्ट का सूचना पत्र

क. प्रतिरक्षा

सं. क.	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
1	प्रदर्श डी.1/ब.सा.1	निरंक

क. न्यायालयीन प्रदर्श

सं. क.	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
1	प्रदर्श सी.1/न्या.सा.1	निरंक

घ– आवश्यक वस्तुएं:
निरंक

(1) अभियुक्तगण ओमप्रकाश का विचारण भा0दं0सं0 की धारा 279 एवं 146/196 एमव्ही एक्ट के तहत इस आशय का अपराध है कि उसने दिनांक 04/08/2022 को समय सुबह करीब 08:00 बजे या उसके लगभग, स्थान सोसायटी के सामने ग्राम कांसखेड़ी क्षेत्रांतर्गत सिवनीमालवा में वाहन महिन्द्रा ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.–05–एम.जे.–6795

को उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाया जिससे मानव जीवन संकटापन्न होना अथवा अन्य किसी व्यक्ति को क्षति या उपहति कारित होना संभाव्य हुआ एवं आपने उक्त वाहन को बिना बीमित हुए परिवहन किया एवं आरोपी अभियुक्त अरूण लौवंशी को मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 के तहत आरोप हैकि उसने उपरोंक्त घटना, दिनांक व समय पर अभियुक्त ओमप्रकाश को अपना वाहन बिना बीमित हुए परिवहन करने को दिया।

(2) अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी दिनेश ग्राम कांसखेड़ी में रहता है। दिनॉक 04/08/2022 को सुबह करीब 08.00 बजे अपने घर पर नहा रहा था तभी चाचा के लड़के विशाल ने बताया कि गांव में सासाईटी के सामने काका अमर सिंह को महिन्द्रा लाल रंग के ट्रेक्टर ने टक्कर मार दी है। वह दौड़कर वहां पर पहुंचे तो पता चला कि ट्रेक्टर वाला काका अमर सिंह को अस्पताल सिवनीमालवा ले गया और जब वह अस्पताल जाने की तैयार कर रहे थे तभी ट्रेक्टर वाला काका अमीर सिंह उर्फ अमरसिंह को इलाज कराकर वापिस ले आया। उसके बाद काका को ज्यादा तकलीफ हुई तो वह काका सिवनीमालवा अस्पताल लाये है। लाल रंग के महिन्द्रा ट्रेकटर के चालक ने बड़ी तेजी व लापरवाही से ट्रेकटर चलाकर काका अमर सिंह को टक्कर मारी है। जिससे काका को सिर तथा गर्दन में चोट आयी है। फरियादी की उक्त आशय की रिपोर्ट पर थाना सिवनी मालवा में अपराध क्रमांक 463/2022 धारा 279, 337 भा0दं0सं0 एवं 146/196 एमव्ही एक्ट का पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान दौरान फरियादी/आहत दिनेश का मुलाहिजा कराया गया। एफआईआर, मेमो, प्रीएमएलसी, नक्शामौका, जप्ती पत्रक, धारा 41-1 जा.फौ. का नोटिस, धारा 133 एमव्ही एक्ट, मेकेनिकल परीक्षण रिपोर्ट, सीटी स्केन रिपोर्ट मय प्लेटस रजिस्ट्रेशन छायाप्रति, ड्रायविंग लाईसेंस छायाप्रति, आहत एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्ध गये गये। इत्यादि कार्यवाही उपरांत अभियोग पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

(3) अभियुक्तगण को आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसने अपराध किये जाने से इंकार करते हुए विचारण चाहा।

(4) धारा 313 दप्रसं के परिक्षण के दौरान अभियुक्तगण ने झूंठा फंसाया जाना व्यक्त किया और उन्होंने कोई बयाव साक्ष्य देने से इंकार

किया।

(5) प्रस्तुत प्रकरण में आहत एवं अभियुक्त ओमप्रकाश के मध्य न्यायालय के बाहर आपसी राजीनामा हो जाने से न्यायालय के आदेश दिनांक 22/09/2023 के अनुसार अभियुक्त ओमप्रकाश लौवंशी को भा.दं.वि. की धारा 337 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया गया परन्तु भा.दं.वि. की धारा–279 एवं 146/196 एम.व्ही. एक्ट का अपराध शमन योग्य न होने से अभियुक्तगण का विचारण जारी रहने से उक्त आरोप के संबंध में यह निर्णय पारित किया जा रहा है ।

(6) **मामले के निराकरण हेतु इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न हैं किः–**

01. क्या अभियुक्त ओमप्रकाश ने घटना दिनांक 04/08/2022 को समय सुबह करीब 08:00 बजे या उसके लगभग, स्थान सोसायटी के सामने ग्राम कांसखेड़ी क्षेत्रांतर्गत सिवनीमालवा में वाहन महिन्द्रा ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.–05–एम.जे.–6795 को उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाया जिससे मानव जीवन संकटापन्न होना अथवा अन्य किसी व्यक्ति को क्षति या उपहति कारित होना संभाव्य हुआ?

02. क्या अभियुक्त ओमप्रकाश ने उक्त घटना दिनॉक, समय व स्थान पर उपरोक्त वाहन को बिना बीमित हुए परिवहन किया?

03. क्या अभियुक्त अरूण लौवंशी ने घटना दिनांक व समय को उक्त वाहन अभियुक्त ओमप्रकाश को बिना बीमित हुए परिवहन करने को दिया?

//सकारण निष्कर्ष//

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 व 02 के संबंध में

(7) अमीर सिंह **अ0सा0–01** ने यह परिसाक्ष्य दी है कि वह आरोपी ओमप्रकाश को पहचानता है। अरूण लौवंशी को नही पहचानता है।

घटना सुबह 8.00 बजे की है। वह सिवनीमालवा से अपने गांव कांसखेड़ी जा रहा था, जैसे ही सोसायटी के पास पहुंचा तभी सूरज कुण्ड तरफ से एक लाल रंग का महिन्द्रा ट्रेक्टर आया, जिससे उसकी गाड़ी टकरा गई थी और वह जमीन पर गिर गया था, जिससे उसे चोट आयी थी। ट्रेक्टर चालक ओमप्रकाश उसे अस्पताल लेकर गया था जहां पर उसका इलाज हुआ था। उसके भतीजे दिनेश ने घटना की रिपोर्ट थाना सिवनीमालवा में की थी। घटनास्थल का नक्शामौका प्रपी–01 है। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। उक्त साक्षी द्वारा पूर्ण रूप से अभियोजन मामले का समर्थन न किये जाने से अभियोजन द्वारा उसे पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे गये जिसमें उसने इस तथ्य से इंकार किया कि उक्त महिन्द्रा ट्रेक्टर के चालक जिसने तेजी व लापरवाही से ट्रेक्टर चलाकर उसे सामने से टक्कर मार दी थी और वह जमीन पर गिर गया था। इस बात से भी इंकार किया है कि उक्त ट्रेक्टर का नंबर एमपी–05–ए.जे. 695 था। साक्षी ने अपने पुलिस कथन प्रपी–02 का ए से ए भाग पुलिस को बताये जाने से इंकार किया है।

(8) दिनेश धुर्वे **अ0सा0–02** ने यह परिसाक्ष्य दी है कि वह आरोपी ओमप्रकाश को पहचानता है। आरोपी अरूण लौवंशी को नही पहचानता है। घटना दिनांक 04.08.2022 की सुबह 8.00 बजे की है उसे गांव के विशाल ने बताया था कि सोसाईटी के सामने आपके काका अमीर सिंह को लाल रंग के महिन्द्रा ट्रेक्टर ने टक्कर मार दी है। जब वह घटना स्थल पहुंचा तो पता चला कि उसके काका अमीर सिंह को ट्रेक्टर मारने के बाद अस्पताल ले गया और इलाज करावाकर वापिस ले

आया। इसके बाद वे उसके चाचा को वापस सिवनीमालवा अस्पताल ले गये थे, जहां पर उनका इलाज हुआ था। उसने थाना पर रिपोर्ट की थी जो प्रपी–03 है। पुलिस ने उसके बयान लिये थे। उक्त साक्षी द्वारा पूर्ण रूप से अभियोजन मामले का समर्थन न किये जाने से अभियोजन द्वारा उसे पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे गये जिसमें उसने इस तथ्य से इंकार किया कि उसने पुलिस को बताया था कि जिस ट्रेक्टर ने उसके काका अमीर सिंह को टक्कर मारी थी वह लाल रंग का महिन्द्रा कंपनी का था, जिसका नंबर एमपी–05–ए.जे.695 था। इस बात से भी इंकार किया है कि ओमप्रकाश ने ट्रेक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर अमीर सिंह को टक्कर मार दी । साक्षी ने पुलिस कथन कथन प्रपी–04 का ए से ए एवं प्रपी–03 का बी से बी भाग बताने से इंकार किया है।

(9) कृपाराम मीना प्रधान आरक्षक **अ0सा0–03** ने अपनी परिसाक्ष्य दी है कि वह दिनांक 04.08.2022 को थाना सिवनी मालवा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थान प्रभारी के द्वारा अप.क्र. 463/2022 की केस डायरी अपराध पंजीबद्ध किये जाने के उपरांत उसे विवेचना हेतु प्रदान की थी। विवेचना के दौरान फरियादी के बताये अनुसार घटनास्थल का नक्शामौका प्रपी.–01 तैयार किया था। आरोपी ओमप्रकाश के द्वारा पेश करने पर एक महिन्द्रा कंपनी का लाल रंग ट्रेक्टर जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर एम.पी. 05 ए.जे. 6795, आरोपी का ड्रायविंग लाईसेंस, वाहन का बीमा, गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रपी–05 तैयार किया था। उसने आरोपी ओमप्रकाश को प्रपी–06 एवं आरोपी अरूण लोवंशी को प्रपी–07 के धारा 133 एम.

व्ही.एक्ट के नोटिस दिये थे। उसने गवाहों के कथन उनके बताये अनुसार लेख किये थे। उसने आरोपीगण को धारा 41—क दप्रसं का नोटिस देकर पावंद कर छोड़ा था। अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 279, 337, भा.द.सं. एवं एम.व्ही.एक्ट की धारा 146/196, के अंतर्गत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।

(10) प्रतिपरीक्षण के दौरान साक्षी ने बताया है कि उसे याद नही है कि घटना की दिनांक क्या थी एवं वह घटनास्थल पर किन किन लोगो से पूछताछ की, उनके नाम उसे याद नही। उसने प्रपी—01 का नक्शामौका फरियादी के बताये अनुसार बनाया था। यह स्वीकार किया है कि उसने फरियादी को थाना पर बयान लेने हेतु बुलाया था। उसने फरियादी के बयान उसके बताये अनुसार लिये थे, आसपास के लोगों के बयान नही लिये थे। उसने ट्रेक्टर को आरोपी के पेश करने पर जप्त किया था, जिसका रंग लाल था, उसे ट्रेक्टर का नंबर याद नही है। इस बात से इंकार किया है कि उसने संपूर्ण कार्यवाही थाना पर बैठकर की है। इस बात से भी इंकार किया है कि वह घटनास्थल पर नही गया था।

(11) आहत द्वारा अभियुक्त से आपसी राजीनामा कर लिये जाने से अभियुक्त को धारा 337 भा0दं0सं0 के अपराध के आरोप से पूर्व में दोषमुक्त भी किया जा चुका है। अभियोजन की ओर से उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं है। इस प्रकार अभिलेख पर विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 के संबंध में अन्य कोई स्वतंत्र व चक्षुदर्शी साक्ष्य भी विद्यमान नहीं है और न ही स्वयं फरियादी्/आहत अमीर सिंह ने विचारणीय बिन्दु के संबंध में समर्थन किया है। स्वतयं

आहत द्वारा अपने न्यायालयीन कथन में यह व्यक्त किया गया कि उसकी मोटरसाईकिल ट्रेक्टर से टकराई थी। ट्रेक्टर चालक ने तेजगति व लापरवाही से चलाते हुए उसे टक्कर मारी थी इस बआत से इंकार किया है। साक्षी दिनेश भी चक्षुदर्शी साक्षी नही है जबकि आहत् साक्षी ने अभियुक्त ओमप्रकाश के द्वारा दुर्घटना कारित किये जाने से इंकार किया है ऐंसी स्थिति में यह तथ्य भी ''नासाबित हो जाता है कि अभियुक्त ओमप्रकाश ट्रेक्टर का बीमा ना होते हुए ट्रेक्टर का परिवहन कर आहत् को टक्कर मारकर उसे उपहति कारित की है। अतः विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 व 02 'नासाबित' के रूप में निराकृत किया जाता है।

<u>विचारणीय प्रश्न क्रमांक 03 के संबंध में</u>:–

(12) प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त द्वारा घटना दिनॉक को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाया जाना साबित नहीं है। ऐंसी स्थिति में यह तथ्य भी स्वतः ही 'नासाबित' हो जाता है कि उपरोक्त वाहन उसके द्वारा बिना बीमित हुये चलाया गया अतः विचारणीय बिन्दु क्रमांक 03 भी 'नासाबित' के रूप में निराकृत किया जाता है।

(13) अतः अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ओमप्रमकाश ने घटना घटना दिनांक 04/08/2022 को समय सुबह करीब 08:00 बजे या उसके लगभग, स्थान सोसायटी के सामने ग्राम कांसखेड़ी क्षेत्रांतर्गत सिवनीमालवा में वाहन महिन्द्रा ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.–05–एम.जे.–6795 को उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाया जिससे मानव जीवन संकटापन्न होना अथवा अन्य किसी व्यक्ति को क्षति या उपहति कारित

होना संभाव्य हुआ एवं उपरोक्त वाहन को बिना बीमित हुए परिवहन किया तथा अभियूक्त अरूण लौवंशी द्वारा उपरोक्त वाहन बिना बीमा हुए आरेापी ओमप्रकाश को परिवहन करने के लिए दिया। परिणामस्वरूप अभियुक्त ओमप्रकाश को भा0दं0सं0 की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 एवं अभियुक्त अरूण लौवंशी को मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

(14) अभियुक्त ओमप्रकाश की ओर से पूर्व प्रस्तुत जमानत एवं बंधपत्र को धारा 437—ए दं0प्र0सं0 के अंतर्गत 06 माह के लिए निरंतर किया जाता है। 06 माह की अवधि पश्चात् इस निर्देश के साथ भारमुक्त किए जाते हैं।

(15) प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वाहन महिन्द्रा ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी. —05—एम.जे.—6795 उसके पंजीकृत स्वामी के पास सुपुर्दनामा पर है। अतः सुपुर्दनामा अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त समझा जावे। अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

(16) अभियुक्तगण के अन्वेषण, जांच एवं विचारण के दौरान न्यायिक निरोध में व्यतीत की गई अवधि के संबंध में पृथक से धारा 428 दं.प्र.सं. प्रमाण पत्र तैयार किया जाकर संलग्न किया जावे।

स्थानः—सिवनी मालवा
दिनॉकः— 27.09.2023

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया।

सही/—
(श्रीमती वंदना सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिवनी मालवा
जिला—नर्मदापुरम म0प्र0